विचार बिन्दु

आनंद वह ख़ुशी है जिसके भोगने पर पछताना नहीं पड़ता। –सुकरात

भारत में सभी शहरी क्षेत्रों के आसपास के वनों को कंजर्वेशन रिज़र्व घोषित करना आवश्यक है

30X30 एक वैश्विक संरक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य 2030 तक पृथ्वी के 30 प्रतिशत भूमि और महासागरों की रक्षा करना है। यह जैव विविधता कन्वेंशन (सीबीडी) के वर्ष 2020 के बाद के वैश्विक जैव-विविधता ढांचे के तहत एक प्रमुख लक्ष्य है। भारत के लिए, सभी पेरी-अर्बन वनों को संरक्षण रिज़र्व घोषित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 7,935 शहर और कस्बे थे। यहाँ शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। इन शहरों और कस्बों के आसपास स्थित पेरी-अर्बन वनों की रक्षा करना पारिस्थितिक गलियारों को मजबूत करेगा, शहरी जैव-विविधता को बढ़ावा देगा और जलवायु सहनशीलता में सुधार करेगा। ये वन कार्बन भंडार के रूप में कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करते हैं और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जैव-विविधता हानि को कम करते हैं। पेरी-अर्बन वनों को 30X30 रणनीति में शामिल करना समावेशी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ मेल खाता है, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी और देश की अनोखी जैव-विविधता और पारिस्थितिक अखंडता के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना शामिल है।

पेरी-अर्बन वन-हरे भरे क्षेत्र जो शहरों के बाहरी इलाकों में शहरी और ठाामीण क्षेत्रों के बीच स्थित हैं-पारिस्थितिक जीवनरेखा हैं जो शहरीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हैं। ये वन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें कार्बन अवशोषण, जल चक्र विनियमन, जैव-विविधता संरक्षण, स्थानीय तापमान को संतुलित करना और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रकृति-आधारित समाधान के स्त्रोत के रूप में काम करना शामिल है। तेजी से शहरी विस्तार के साथ, पेरी-अर्बन वन, कटाई, शहरीकरण के कारण भूमि उपयोग में बदलाव और प्रबंधन में उपेक्षा जैसी बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए, इनके बहुआयामी लाभों के प्रमाणों के आधार पर, सभी पेरी-अर्बन वनों को संरक्षण रिज़र्व घोषित करना और उनका प्रबंधन करना आवश्यक है।

भारत विश्व स्तर पर पेरी-अर्बन वनों की बहाली की उच्चतम संभावना वाले शीर्ष चार देशों में शामिल है, जिसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील भी शामिल हैं। ये चार देश पुनर्स्थापन गतिविधियों के लिए उपलब्ध वैश्विक पेरी-अर्बन क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करते हैं। अकेले भारत में लगभग 14 से 17 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऐसी पहलों के लिए उपयुक्त मानी गई है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव-विविधता को बढ़ावा देने और शहरी सहनशीलता में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (एस. फ्रांसिनीएटअल., नेचर सिटीज, वॉल्यूम 1, पेज 286-294, 2024)। यह वैश्विक पुनर्स्थापन प्रयासों में भारत की केंद्रीय भूमिका और लक्षित पुनर्वनीकरण गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और सामाजिक लाभ प्रदान करने की इसकी क्षमता को उजागर करता है।

भारत में शहरी और पेरी-अर्बन राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षण रिज़र्वों का एक व्यापक नेटवर्क है, जो जैव-विविधता संरक्षण और शहरी पारिस्थितिकी सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (मुंबई), जो 103 वर्ग किलोमीटर में फैला है, शहर के लिए एक हरा फेफड़ा है और तेंदुओं सहित विविध वन्यजीवों का घर है। इसी तरह, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान (भोपाल), 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और प्राकृतिक बाड़ों में जानवरों के साथ एक प्राणी उद्यान के रूप में कार्य करता है।गिंडी राष्ट्रीय उद्यान (चेन्नई), जो केवल 2.7 वर्ग किलोमीटर में फैला है, काले हिरण, चीतल और पक्षियों के लिए एक शहरी अभयारण्य है।

हैदराबाद में कासू ब्रह्मानंद रेड्डी (केबीआर) राष्ट्रीय उद्यान, जो 1.43 वर्ग किलोमीटर में फैला है, शहर के केंद्र में स्थित एक शहरी वन है, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति को संरक्षित करता है और आवश्यक पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, 14.59 वर्ग किलोमीटर में फैला है और काले हिरणों की आबादी और शिक्षा तथा मनोरंजन में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान (बेंगलुरु), 260.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और हाथी गलियारे और पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं को जोड़ता है,जो शहरी दबावों और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है।

चंदका-दामपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, जो भुवनेश्वर, ओडिशा के पास स्थित है, 193.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और शहरी क्षेत्रों के करीब एक महत्वपूर्ण हाथी अभयारण्य है। यह मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और जैव-विविधता को संरक्षित करने में पेरी-अर्बन संरक्षित क्षेत्रों के महत्व को रेखांकित करता है। जयपुर का झालाना-अमागढ़ कंजेर्वेशन रिज़र्व, जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अपनी बढ़ती तेंदुओं की आबादी, कार्बन संचय, भू-जल पुनर्भरण और पर्यावरण पर्यटन के लिए जाना जाता है।

हमने हैदराबाद, तेलंगाना के पास स्थित 109 शहरी और पेरी-अर्बन वनों में से एक का दौरा किया, जो 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रजातियों के उल्लेखनीय प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रदर्शित करता है। मजबूत संरक्षण उपायों ने जैव-विविधता की रक्षा की है, जलग्रहण क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाया है और आसपास की झीलों को स्वच्छ पानी प्रदान किया है। इसी प्रकार हैदराबाद का कासूब्रह्मानंद रेड्डी (केबीआर) राष्ट्रीय उद्यानएक महत्वपूर्ण शहरी संरक्षित क्षेत्र है, जहाँ चंदन (सैंटलम एल्बम) के उल्लेखनीय प्राकृतिक पुनरुत्पादन को देखा गया है। यह मुख्य रूप से पक्षियों द्वारा बीजों के प्रसार के माध्यम से संभव हुआ है, जिसमें बुलबुल पक्षी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये पक्षी पार्क के 353 एकड़ क्षेत्र में, जिसमें संरक्षण और पर्यटन क्षेत्र दोनों शामिल हैं, बीजों को फैलाने में सहायक हैं।

> **भारत में शहरी और पेरी-अर्बन राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षण रिज़र्वों का एक व्यापक नेटवर्क है, जो जैव-विविधता संरक्षण और शहरी पारिस्थितिकी सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (मुंबई), जो 103 वर्ग किलोमीटर में फैला है, शहर के लिए एक हरा फेफड़ा है और तेंदुओं सहित विविध वन्यजीवों का घर है।**

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल शहर के लिए हरे फेफड़े का काम करता है, जैव-विविधता संरक्षण में योगदान देता है, पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देता है, और आसपास की झील के लिए जल विनियमन को बेहतर बनाता है। अपनी छोटी सीमा के बावजूद, वन विहार संरक्षण और मनोरंजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। पारिस्थितिक संरक्षण और शहरी योजना को एकीकृत करने का उत्तम उदाहरण है।

पेरी-अर्बन वन स्थानीय जलवायु को स्थिर करने के लिए अपरिहार्य हैं, विशेष रूप से उन शहरी और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जो अत्यधिक गर्मी की चपेट में आते हैं। झालाना-अमागढ़ संरक्षण रिज़र्व इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रोफेसर आर. योसेफ और उनकी टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि पेरी-अर्बन वनभूमि सतह तापमान (LST) को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि झालाना-अमागढ़ संरक्षण रिज़र्व के भीतर का LST, आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में सभी मौसमों में काफी कम था। यह शीतलन प्रभाव दिखाता है कि वन शहरी गर्मी द्वीपों (Urban Heat Islands) का कैसे मुकाबला करते हैं, जो अन्यथा शहरों में गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाते हैं (, . 13, Pages 1101, 2022)~ यह निष्कर्ष घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारत में शहरी और पेरी-अर्बन वनों को प्राथमिकता देने की मजबूत वकालत करता है।

शीतलन के अलावा, पेरी-अर्बन वन वैश्विक जलवायु शमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एस. फ्रांसिनी और उनके सहयोगियों ने पाया कि विश्व स्तर पर उपयुक्त पेरी-अर्बन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करके 101 से 106 अरब पेड़ों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है, जो कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण योगदान देगा (Nature Cities, Vol. 1, Pages 286–294, 2024)?

पेरी-अर्बन वनों में निवेश पारंपरिक 'ग्रे' अवसंरचना,जैसे बांध और तटबंध,के बजाय बाढ़ नियंत्रण और जलवायु अनुकूलन के लिए एक किफायती विकल्प है। आर. मलेकनिया और उनकी टीम द्वारा किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि पेरी-अर्बन वन प्राकृतिक स्पंज के रूप में कार्य करते हैं,वर्षा जल को अवशोषित करते हैं, जल पुनर्भरण करते हैं, और शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करते हैं (Forests, Vol. 15, 2024)? यह पारिस्थितिकी सेवा आपदा के बाद के पुनर्वास पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम करती है और दीर्घकालिक सहनशीलता सुनिश्चित करती है।

पेरी-अर्बन वन पारिस्थितिक पर्यटन, टिकाऊ आजीविका और शीतलन के लिए ऊर्जा लागत को कम करके अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं। ऐसी सेवाएं पेरी-अर्बन वनों को संरक्षित करने के वित्तीय लाभों को रेखांकित करती हैं। पेरी-अर्बन वनों को कंजर्वेशन रिज़र्व घोषित करना संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करेगा और स्थानीय व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेगा।

पेरी-अर्बन वन स्वच्छ हवा प्रदान करके, गर्मी के तनाव को कम करके और मनोरंजन स्थल के रूप में शहरी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। ये लाभ विशेष रूप से भारत के घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जहाँ हीट-वेव और वायु प्रदूषण शहरी समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, पेरी-अर्बन वन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। मनोरंजन स्थलों के रूप में ये वन व्यायाम और विश्राम के अवसर प्रदान करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं।

पेरी-अर्बन वनों को संरक्षण रिज़र्व घोषित करना एक क्रांतिकारी नीतिगत समाधान है, जो इन वनों की सुरक्षा को संस्थागत रूप देगा और उनके पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक लाभों को पूरी तरह से प्राप्त करने की क्षमता को साकार करेगा। कंजर्वेशन रिज़र्व कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं,जो वनों को शहरी अतिक्रमण और अव्यवस्थित दोहन से बचाते हैं, साथ ही समुदाय की भागीदारी को भी सक्षम बनाते हैं। पेरी-अर्बन वनों के संरक्षण को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग उपकरणों का उपयोग करके पेरी-अर्बन वनों की पहचान और मूल्यांकन करना चाहिए, जो भूमि सतह तापमान और पारिस्थितिकी सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। दूसरे, नीतिगत और कानूनी सुधारों के माध्यम से इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से समय समय पर संशोधित, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप कंजर्वेशन रिज़र्व के रूप में नामित करना आवश्यक है, जिससे इनकी दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तीसरे, सहभागी योजना और शिक्षा के माध्यम से समुदायों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, ताकि जन-जागरूकता बढ़ाई जा सके और स्थानीय स्तर पर संरक्षण प्रयासों में भागीदारी सुनिश्चित हो। चौथे, सीधी बुआई (बीजारोपण), असिस्टेड नेचुरल रिजनेरेशन जैसी वैज्ञानिक पुनर्स्थापन तकनीकों का उपयोग करके वनों के पुनर्स्थापन और क्षतिग्रस्त वनों को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। अंत में,जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से पेरी-अर्बन वनों के पारिस्थितिक और सामाजिक लाभों को उजागर किया जा सकता है, जिससे नागरिकों को इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। इन सभी प्रयासों से पेरी-अर्बन वनों का संरक्षण न केवल पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक लाभों में भी योगदान देगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(इंडियन फारेस्ट सर्विस से सेवानिवृत्त, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान सहित अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।)

वक्फ (संशोधन) बिल 2025: सच्चाई बनाम भ्रांतियां

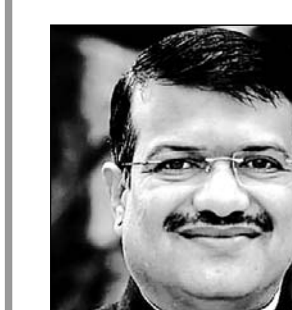
डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

भारत सरकार द्वारा वक्फ (संशोधन) बिल 2025, लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को यह बिल पेश किया गया। जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और अल्पसंख्यक समुदाय-विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय-के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देना है। यह बिल वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है और इसे "यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट" के रूप में पुनर्नामित किया गया है। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में गहन बहस के बाद पारित हुआ।

इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में कई चिंताएँ और शंकाएँ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा, तो कुछ को लगता है कि इससे वक्फ संपत्तियाँ सरकार के नियंत्रण में चली जाएँगी। लेकिन अगर हम तथ्यों और आँकड़ों को देखें, तो यह बिल न केवल वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करता है बल्कि समुदाय के आर्थिक और शैक्षिक विकास को भी सुनिश्चित करता है। यह आलेख इसी बिल के सकारात्मक पहलुओं, चिंताओं के तार्किक निवारण और इससे होने वाले संभावित लाभों की चर्चा करेगा।

क्या यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा? कई लोगों को लगता है कि गैर-मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिल में गैर-मुस्लिम सदस्य केवल संपत्ति प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए होंगे, न कि धार्मिक गतिविधियों के लिए। केग रिपोर्ट 2022 कहती है कि भारत में लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ संपत्ति पंजीकृत है, लेकिन 7प्रतिशत से अधिक संपत्तियों पर गैरकानूनी कब्जा है। इस समस्या को दूर करने के लिए पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन आवश्यक है, ताकि वक्फ संपत्तियाँ बेहतर तरीके से समुदाय के हित में उपयोग हो सकें।

क्या सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी? एक आम चिंता यह भी है कि सरकार इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों को अपने अधिकार में ले लेगी। लेकिन इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण देने की अनुमति देता हो। राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में 66,000 एकड़ से अधिक वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा है। इस बिल के माध्यम से इन संपत्तियों को पुनः मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल और रोजगार केंद्रों की स्थापना में। क्या वक्फ बोर्ड की ताकत कम होगी? पहले, धारा 40 के तहत, वक्फ बोर्ड बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था, जिससे विवाद उत्पन्न होते थे। अब इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रमाण-आधारित बनाया गया है, जिससे बोर्ड की विश्वसनीयता बढ़ेगी। केंद्रीय वक्फ परिषद की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 30प्रतिशत वक्फ संपत्तियाँ कानूनी विवादों में उलझी हुई हैं। अगर इन संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए, तो हर साल 10,000 करोड़ रुपये तक की आमदनी हो सकती है, जिसे गरीब मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए खर्च किया जा सकता है। क्या मुस्लिम समुदाय की आवाज़ दब जाएगी? इस बिल में यह सुनिश्चित किया गया है कि वक्फ बोर्ड में शिया, बोहरा और अन्य मुस्लिम संप्रदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही, कम से कम दो मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। 2022 में वक्फ बोर्डों में केवल 4प्रतिशत महिला सदस्य थीं, लेकिन यह नया बिल इस असमानता को दूर करने में मदद करेगा। मुस्लिम समुदाय को इस बिल से क्या लाभ होगा? पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होने से वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का सही उपयोग होगा। इन फंड्स का उपयोग गरीब बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं में किया जा सकेगा। वर्तमान में 1.2 लाख करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियाँ हैं, लेकिन इनका केवल 10-15प्रतिशत सही तरीके से उपयोग हो पाता है। अगर इन संपत्तियों का उचित प्रबंधन हो, तो मुस्लिम समुदाय के लिए हर साल 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय हो सकती है, जो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास में सहायक होगी।

वक्फ (संशोधन) बिल 2025 को लेकर कई भावनात्मक चिंताएँ हैं, लेकिन तथ्य यह बताते हैं कि यह बिल समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके पक्ष में है। यह वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करता है, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण को रोकता है, पारदर्शिता लाता है और मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक व आर्थिक उत्थान के लिए संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त करने का भी यह एक अवसर है। इसलिए, गलत सूचनाओं से डरने की बजाय इस बिल को समझना ज़रूरी है। यह आपके हक और आपकी धरोहर को मज़बूत करने का कदम है, और सरकार व समुदाय के बीच संवाद और विश्वास से ही इसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है।

–डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत,
राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता

कैलादेवी मेले में दुर्गाष्टमी पर पांच लाख से अधिक भक्तों ने माता के दर्शन किये

26 मार्च से मेले में अब तक 35 लाख से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं

करौली, (निसं)। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैलादेवी में चैत्र मास का वार्षिक लक्खी मेला चल रहा है। दुर्गाष्टमी पर प्रात तीन बजे से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। भक्त माता के जयकारे लगाते हुए दर्शन करने के लिए कतारों में पहुंचे। इस दौरान माता रानी के दरबार में भीड़ इतनी थी कि दर्शन में करीब एक घंटे का समय लग रहा था। दुर्गाष्टमी पर पांच लाख से अधिक भक्तों ने माता के दर्शन किये। 26 मार्च से 11 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में अब तक 35 लाख से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं।

दुर्गाष्टमी के अवसर पर प्रात: ग्यारह बजे कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट के सोल ट्रस्टी कृष्णचन्द्र पाल एवं उनके पुत्र ने राज्याचार्य प्रकाशचन्द जती के मंत्रोच्चारणों के साथ कैलामाता की पूजा अर्चना के बाद महाआरती की। मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। कई श्रद्धालु हाथों में ध्वजा लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। नवविवाहित जोड़े और नवजात के परिवार विशेष रूप से दर्शन करने आ रहे हैं। मेले में कानून व्यवस्था के लिए एक हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हिंडौन और करौली सहित अन्य आगारों कि 350 रोडवेज बसें लगाई गई हैं।

> **उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं**

दुर्गाष्टमी के मौके पर जिले भर में घर-घर में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की गई और कन्या भोज का आयोजन किया गया। कैलादेवी में बहने वाली कालीसिल नदी से भी लोगों कि अटूट आस्था जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि कालीसिल नदी में स्नान करने के बाद दर्शन करने से ही कैला माता प्रसन्न होती है और देवी की जात पूरी होती है। इसी के चलते कैलादेवी मेले में आने वाले अधिकांश यात्री माता के दर्शनों से पूर्व कालीसिल नदी में स्नान कर स्वयं को पवित्र करते हैं। कैला मैया के दरबार में भक्त अपनी मनौती पूरी होने पर वाहनों से पहुंचते हैं। वहीं कुछ पैदल चलकर आते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु प्रतिवर्ष बिना किसी मनौती के ही नियमित दर्शनों को आते हैं।

कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से माता से कुछ मांगता है तो कैला मां उसे कभी निराश नहीं करती। माता के कृपा भाव के कारण ही प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कैलादेवी माता के दर्शनों के आने वाले भक्तों में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। बच्चों से लेकर 100 वर्ष तक की उम्र के भक्त माता के जयकारे लगाते हुए निरंतर आगे बढ़ते हैं। इनमें बच्चे, युवक-युवती, महिला-पुरूष शामिल रहते हैं।

जलदाय विभाग ने पानी चोरी कर व्यापार करने वालों से 13.93 लाख रुपए वसूले

बालोतरा, (निसं)। परियोजना पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना की मुख्य पाइप लाइनों से अवैध रूप से पानी चोरी कर व्यापार करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जलदाय विभाग ने अब तक 13 लाख 93 हजार 849 रुपए की वसूली की।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता बाबूलाल मीणा ने बताया कि परियोजना खण्ड बालोतरा के अधिकारियों की अवैध रूप से पाइप लाइनों से पानी चोरी करने वालो के विरूद्ध अभियान के तहत बालोतरा क्षेत्र के गांवों में सहायक अभियंता राकेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। जिसमें 2 व्यक्तियों के 3 अवैध जल संबंध चिन्हित किए गए एवं इन अवैध जल संबंधकर्ता के विरूद्ध जुर्माना पेनल्टी राशि वसूली एवं मुकदमे की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही में ईशाख खान पुत्र हाजी मूसे खान, ग्राम पंचायत रेवाडा मैया द्वारा पचपदरा, फलोदी मेगा हाइवे के किनारे, उनके होटल के सामने बने हुए टांके में आधा इंच के 2 कनेक्शन किए हुए पाए गए। टांका 12-15 टैंकर बना हुआ है। टांके में पानी इकट्ठा कर पानी का बेचान किया जाता है। गत 5 दिन से 24 घण्टे लगातार मुखबरी हेतु आदमियों को लगाया हुआ था। किसी तरह से भनक लगने के कारण उनके द्वारा टैंकर नहीं भरे गये। आखिरकार उनके विरूद्ध आज कार्यवाही की गई।

उन्होंने बताया कि दूसरा अवैध जल संबंध रैवाडा मैया में राकेश बंसल निवासी बालोतरा द्वारा स्थापित ऑक्सीजन प्लांट में अवैध जल संबंध स्थापित किया हुआ था। इनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में जुर्माना पेनल्टी राशि की जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, उनके द्वारा विभाग में राशि नहीं जमा करवाने पर आज 26 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर बालोतरा को प्रकरण भिजवाने से पूर्व विभाग द्वारा अंतिम नोटिस जारी किए गए है। इन लोगों के विरूद्ध 1 करोड 15 लाख 29 हजार एक सौ चौबीस रुपए की वसूली प्रस्तावित की हुई है। निर्धारित समयावधि में जुर्माना, पेनल्टी राशि जमा नहीं करवाने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला कलक्टर बालोतरा को भिजवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक परियोजना की पाइप लाइनों पर 648 अवैध जल संबंध चिन्हित किए गए। जिनमें से 632 अवैध जल संबंध हटाते हुए 13 लाख 93 हजार 849 रुपए की वसूली कर राजकोष में जमा करवाए जा चुके हैं।

सूरतगढ़ थर्मल कॉलोनी के पास आग लगी, हादसा टला

सूरतगढ़, (निसं)। सुपर थर्मल पावर प्लांट कॉलोनी के जीएसएस से सटे खाली इलाके में शनिवार को आग लग गई। वहीं, सूचना मिलने के बाद थर्मल परियोजना के सुपर क्रिटिकल इकाई यार्ड से पहुंची दो दमकलों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आगजनी की घटना में कई हरे पेड़ भी जल गए। जीएसएस की दीवार के दूसरी तरफ झाड़ियों से घिरा जंगल जैसा इलाका है। यहां जीएसएस के कर्मचारियों को धुआं और लपटें उठती दिखाई दीं तो कार्मिकों ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।

बताया जा रहा है कि आग जहां लगी वह सब क्रिटिकल इकाई के नजदीक का क्षेत्र है। मगर वहां की चार दमकलें नाकारा होने की वजह से सुपर क्रिटिकल यार्ड से फायर टेंडरों को बुलाया गया। मौके पर पहुंची दो दमकलों ने तीन-तीन चक्कर लगाकर कई मीटर क्षेत्र में फैली आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग की लपटें जीएसएस में बने स्ट्रक्चर और ट्रांसफार्मर तथा वायरों से दूर रही, अन्यथा बड़ा नुकसान भी हो सकता था। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ (भामस.) के पूर्व प्रदेश मंत्री जसवीर से निज्जर ने बताया कि जीएसएस के साथ कॉलोनी की दीवार से उस पार उगी झाड़ियों और जंगलात की तरफ थर्मल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। लंबे समय से यहां ना साफ सफाई करवाई गई है और ना ही सूखे कचरे का निस्तारण किया गया है। ऐसे में आग लगते ही एकाएक फैल गई और हरे पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि आग पास ही लगे जीएसएस के ट्रांसफार्मर में लग जाती तो लम्बे समय तक कॉलोनीवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता। उन्होंने इस मामले में लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी मांग रखी।

राशिफल रविवार 6 अप्रैल, 2025

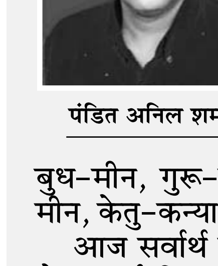
पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2082, पुष्य नक्षत्र सोमवार प्रात: 6:25 तक, धृति योग सायं 6:19 तक, तैतिल करण प्रात: 7:42 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग रवि पुष्य योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। आज रवि योग सम्पूर्ण दिन-रात है। आज रामनवमी है। आज बसन्त नवरात्रा समाप्त होंगे। आज स्वामी नारायण जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 7:56 से 9:28 तक, लाभ-अमृत 9:23 से 12:29 तक, शुभ 2:03 से 3:36 तक।

राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 6:42

मेष
परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मानसिक तनाव रहेगा।

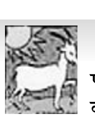

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों के लिए दिन ठीक नहीं है।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कन्या
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय मे वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आज महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

तुला
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत प्रयासों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दूर होगी।

कुंभ
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

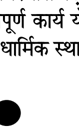

कर्क
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

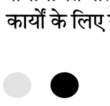

मीन
व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। आवश्यक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।